Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 13, Issue 2 | November 2025 - April 2026 | pp. 42-47

ई-गवर्नेंस की सुशासन में भूमिका

अशोक कुमार मीणा

सह आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग
सेठ आर.एल. सहरिया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कालाडेरा, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

परम्परागत रूप से शासन का तात्पर्य "राजनीतिक व्यवस्था तथा उस शक्ति से है जो देश के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक विकास के लिए उत्तरदायी है। यह सरकार की नीति-निर्माण, नीति संशोधन और नीति क्रियान्वयन की शक्ति है। शासन का सुन्दर, स्वच्छ अथवा आदर्श स्वरूप ही 'सुशासन' है।" वाल्मीकि रामायण में रामराज्य की धारणा को सुशासन माना गया, महाभारत में शान्ति पर्व और अनुष्ठान पर्व में इसका वर्णन किया गया है। कौटिल्य ने सुशासन व्यवस्था के लिए अपने ग्रन्थ अर्थशास्त्र में इसका वर्णन किया और इसे बनायें रखने के लिए राजा के गुण, शिक्षा, दिनचर्या का विस्तृत वर्णन किया तथा संप्रयोग सिद्धान्त दिया। उसने कहा "राजा और प्रजा में पिता और पुत्र का सम्बन्ध होना चाहिए।" कौटिल्य ने अच्छे शासन के तमाम लक्षण बताए गए हैं, जैसे—शासन हमेशा जनहित में होना चाहिए, शासनकर्ताओं का जीवन अनुशासित होना चाहिए। भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक उपाय किए जाने चाहिए आदि। वर्तमान परिदृश्य में सरकार की कार्य प्रणाली की पारदर्शिता एवं प्रभाविता की महती आवश्यकता है। इस आधार पर सूचना प्रोद्यौगिकी का महत्त्व भी बढ़ जाता है। प्रस्तुत शोध पत्र ई-गवर्नेंस के विभिन्न आयामों यथा उद्देश्य, विकास, भारत में इसके स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए सुखासन की दिशा में इसके महत्त्व का आकलन करने का प्रयास है।

संकेताक्षर—*ई-गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, पारदर्शिता, सूचना प्रोद्यौगिकी, सुशासन*

प्रस्तावना

आज सूचना प्रोद्योगिकी की विश्वव्यापी क्रान्ति के साथ ही नई प्रवृतियाँ उभरी है, उनमें एक ई-गवर्नेंस भी है। यह शब्द सूचना प्रोद्योगिकी, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा दूरसंचार जैसे तकनीकों से मिल कर बना है, जो सूचना की प्राप्ति, संग्रहण और विश्लेषण से लेकर उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक एवं तकनीकी आयामों को समाहित करता है।

ई-प्रशासन को शासन की ऐसी प्रणाली से जोड़ा गया है, जिसमें जनता तक सरकारी सेवाएँ और सूचनाएँ पहुँचाने में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को काम में लाया जाता है। ई-प्रशासन के माध्यम से ग्रामीण जनता तक न केवल नियम-कानून एवं कार्य प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वरन् संरचनात्मक कार्यात्मक सुधारों में महत्वपूर्ण तरीके से योगदान भी दे सकते हैं।

ई-गवर्नेंस को ऑनलाइन-गवर्नेंस और डिजिटल-गवर्नेंस भी कहा जाता है। ई-गवर्नेंस आज स्मार्ट गवर्नेंस में बदलता जा रहा है। गवर्नेन्स का अर्थ है-समाज की सेवाएँ प्रदान करना। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेन्स का अर्थ है-कम्प्यूटर नेटवर्क के सहारे सरकार द्वारा लोगों को सेवाएँ प्रदान करना। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेन्स आज की अनिवार्यता है, क्योंकि इसके जरिये सरकार और नागरिकों के सम्बन्धों को आसान बनाया जा सकता है।

ई-गवर्नेंस का वर्तमान समय में महत्वपूर्ण विकास किया जा रहा है ताकि नागरिकों और अन्य उपभोक्ताओं के लिए

सार्वजनिक सेवाओं के वितरण को सस्ता, गतिशील और प्रभावशाली बनाया जा सके। इस प्रकार से ई-गवर्नेंस के माध्यम से अक्षमता, भ्रष्टाचार और नौकरशाही जैसे प्रभावी गतिविधियों को समाप्त कर सेवाओं के वितरण को स्वच्छ, प्रभावशाली, जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के तौर पर कार्य किया जा रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेन्स के अन्तर्गत जनता, सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यों की जानकारी ले सकती है। सूचना तकनीक से सुसज्जित सरकार लोगों को बेहतर तरीके से सुविधाएँ उपलब्ध करा सकती है। सूचना क्रान्ति के चलते शासन-प्रशासन में लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना सम्भव है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेन्स ने लोगों को यह सुविधा प्रदान की है, वे जब चाहें, जहाँ चाहें, सरकार से सूचनाएँ एवं सेवाएँ प्राप्त कर सकें।

विश्व बैंक ने ई गवर्नेंस को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है—''ई-शासन से तात्पर्य सरकारी एजेंसियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (जैसे कि वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट और मोबाइल कंप्यूटिंग) का उपयोग किया जाना है जो नागरिकों, व्यवसायों और शासन के अन्य घटकों के साथ संबंधों को बदलने की क्षमता रखती है।'' ये प्रौद्योगिकियाँ कई प्रकार के लाभ प्रदान करती हैं, जैसे कि नागरिकों को सरकारी सेवाओं की बेहतर डिलीवरी, व्यापार और उद्योग के साथ बेहतर संपर्क, सूचना तक पहुंच के माध्यम से नागरिक सशक्तीकरण तथा अधिक कुशल सरकारी प्रबंधन। परिणामस्वरूप कई प्रकार के लाभ सामने आते हैं, जैसे भ्रष्टाचार में कमी, पारदर्शिता में वृद्धि, बेहतर सुविधा, राजस्व में वृद्धि और लागत में कटौती।

ई-गवर्नेंस के उद्देश्य

- नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना।
- सरकार की प्रतिक्रिया जल्दी मिलना। आमतौर पर सरकार लोगों के प्रश्नों और समस्याओं का जवाब देने में बहुत समय लेती है। वहीं ई-प्रशासन का उद्देश्य इन जवाब देने वाली प्रतिक्रिया में लगने वाले समय को कम करना भी है।
- लोगों को डिजिटल बनाना—गवर्नेंस का जो अगला उद्देश्य हैं वो है लोगों को डिजिटल बनाना है। ई-गवर्नेंस इस्तेमाल करने के लिए लोगों को डिजिटल दुनिया से जुड़ना होगा और ऐसा करने से हमारे देश के लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करना सीख सकेंगे।
- पारदर्शिता और जवाबदेही।
- सूचनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना।
- शासन दक्षता में सुधार लाना। व्यापार और उद्योग के साथ इंटरफेस में सुधार लाना।

भारत में ई-गवर्नेंस

देश में ई-गवर्नेंस केन्द्र की स्थापना 15 अगस्त, 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन में किया गया, ताकि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के प्रयोग की जानकारी एकत्रित और प्रसारित की जा सके। इस केन्द्र में ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में होने वाली प्रक्रियाओं को दर्शाया गया है। कार्यशालाओं, वीडियो तथा टेली कॉफ्रेंसिंग के द्वारा निर्णायक समितियों के लिए ई-गवर्नेंस के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालना, केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के लिए विधि एवं नीति परिवर्तनों को लागू करने में सहायता करना तथा अच्छे कार्यों के निष्पादन में स्थिरता लाने हेतु विशेषज्ञों द्वारा भारत से विदेशों में निरन्तर बातचीत करना इस केन्द्र के प्राथमिक कार्य है।

भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को 17 अक्टूबर 2000 को लागू करके ई-गवर्नेंस को वैद्यता प्रदान की। ई-गवर्नेंस ने प्रशासन को ऐसी प्रणाली से जोड़ा है, जिसमें जनता तक सरकारी सेवाएँ और विभिन्न सूचनाएँ इलेक्ट्रॉनिक विधियों और उपकरणों के माध्यम से पहुंचाना है। इसके साथ ही ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2006 ''राष्ट्रीय ई-शासन योजना'' का प्रारंभ किया गया।

भारत में ई-गवर्नेंस—मुख्य स्तंभ

आज सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, जानकारी और सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्य स्तंभ निम्न हैं—

- लोग
- प्रक्रिया
- प्रौद्योगिकी
- संसाधन

ई-गवर्नेंस का फायदा ना सिर्फ नागरिकों को हो रहा है बल्कि सरकार भी ई-गवर्नेंस की मदद से राज्य सरकारों से संपर्क

कर सकती है। इसी तरह इसके जरिए कर्मचारी भी सरकार से संपर्क कर सकते हैं। ई-गवर्नेंस में सहभागिता की चार श्रेणियाँ निम्नलिखित हैं-

सरकार से नागरिक(जी2सी)—यह नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं की एक बड़ी श्रृंखला के कुशल वितरण से लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। यह सरकारी सेवाओं की पहुँच और उपलब्धता का विस्तार करता है तथा सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य सरकार को नागरिक अनुकूल बनाना है।

सरकार से व्यवसाय (जी2बी)—इसके अंतर्गत देश के व्यापारियों को ई-गवर्नेंस की सुविधा दी जाती है। इस सुविधा के अंतर्गत व्यापारी घर पर बैठे ही कई सरकारी कामों को आसानी से कर सकते हैं। जैसे ट्रेडिंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना, सरकार द्वारा व्यापारों के लिए चलाई गई किसी भी योजना की जानकारी, वैट के लिए पंजीकरण करवाना इत्यादि।

सरकार से सरकार तक (जी2जी)—यह विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच निर्बाध संपर्क में सक्षम बनाता है। इस तरह की बातचीत सरकार के भीतर विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच या केंद्र और राज्य सरकारों के बीच हो सकती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य दक्षता, प्रदर्शन और उत्पादन में वृद्धि करना भी है।

कर्मचारियों के लिए सरकार (जी2ई)—इसमें बातचीत सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच होती है। आईसीटी उपकरण इन अंतः क्रियाओं को तेज और कुशल बनाने में मदद करते हैं और इस प्रकार कर्मचारियों के संतुष्टि स्तर को बढ़ाते हैं। इससे सरकारी कर्मचारी से सरकार आसानी से संपर्क कर सकती है। सरकार के किसी भी विभाग से जुड़े कर्मचारी को उस विभाग से जुड़ी जानकारी उस विभाग की वेबसाइट के जरिए मुहैया करवायी जाती है।

सुशासन : अर्थ व निहितार्थ

शाब्दिक व्युत्पति की दृष्टि से भी शासन शब्द मूलतः अँग्रेजी भाषा के 'गवर्नेंस' शब्द से उद्धृत है, जिसका अर्थ होता है, परिचालन करना। शासन शासित करने की कला है, इसका सम्बन्ध परिचालन के लिए गए निर्णयों से है जो अपेक्षाओं को पारिभाषित करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं और निष्पादन का सत्यापन करते है।

सुशासन शब्द शासन में सु उपसर्ग के लगने से बना है जो अँग्रेज़ी भाषा के भी दो शब्दों से मिलकर बना है—गुड एवं गवर्नेंस। जिसमें शब्द गुड अपभ्रंश रूप में लिया गया है—जिसका अर्थ है अच्छा एवं गवर्नस का शाब्दिक अर्थ है—शासन अर्थात् सुशासन का शाब्दिक अर्थ अच्छे शासन से लगाया जाता है।

सुशासन की अवधारणा येन-केन-प्रकारेण मानव सभ्यता के साथ-साथ ही विकसित हुई है, लेकिन इसकी प्रासंगिकता बदलते हुए समय मानव स्वभाव व गिरते हुए नैतिक स्तर के कारण बढ़ती जा रही है। सुशासन का अर्थ है अच्छा शासन। सामान्य अर्थों में किसी भी संगठन के कार्य करने की पद्धति को शासन कहते हैं। विभिन्न संगठन संस्थाएँ अपने आपको परस्पर किस प्रकार से तालमेल स्थापित करती है, वे जनता को किस प्रकार जोड़ती है तथा व्यवस्था के अंग में रूप में जनता की क्या भूमिका निर्धारित की जाती है, जनता की समस्या कहाँ तक सुनी जाती है इत्यादि सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निश्चित व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य करना ही सुशासन है। जिसे अँग्रेज़ी भाषा की शब्दावली में ईजी गवर्नेंस कहा जाता है, उसे हिंदी में सुशासन नाम से संबोधित किया गया है। क्योंकि ईजी गवर्नेंस का भी तात्पर्य है-सरकार के द्वारा जनता के हित में किए जाने वाले कार्य और उनकी प्रक्रिया इतनी आसान और पारदर्शी बनाई जाए जिनसे जनता को उनका लाभ यथाशीघ्र और समावेशी रूप से प्राप्त हो सकें। साथ ही समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी गण भी अपने उत्तरदायित्व और जवाबदेही के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। सुशासन का मंतव्य भी इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

विश्व बैंक के अनुसार सुशासन के कई राजनीतिक और प्रशासनिक आयाम हैं, जो निम्नलिखित हैं (कटारिया : 2021, 78)-

- राजनीतिक उत्तरदायित्व, जनता द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सहमति तथा राजनीतिक शक्ति की वैधता हेतु नियमित चुनाव।
- संघ, संगठन व संस्था बनाने की स्वतन्त्रता तथा शासकीय प्रक्रिया में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक समूहों की सहभागिता।
- एक सुस्थापित कानूनी ढांचा, जो विधि के शासन तथा न्यायपालिका की स्वतन्त्रता पर आधारित हो, ताकि

मानवाधिकारों की सुरक्षा तथा शोषण के विरुद्ध सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सके तथा सत्ता का दुरुपयोग रोका जा सके।

- शक्ति के दुरुपयोग तथा अकुशलता पर अंकुश तथा सेवा की गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु सरकारी कार्यालयों तथा अधिकारियों के नियन्त्रण तथा निर्देशन की स्थापना द्वारा उत्तरदायी नौकरशाही की व्यवस्था ताकि प्रशासन में पारदर्शिता तथा खुलापन लाया जा सके।
- सार्वजनिक नीति निर्माण, निर्णय-निर्माण, निर्देशन तथा शासकीय निष्पादन के मूल्यांकन हेतु भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा सूचना प्राप्ति का अधिकार।
- कुशल तथा प्रभावोत्पादक प्रशासनिक व्यवस्था। प्रभावोत्पादकता से तात्पर्य घोषित उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति से है। यह प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा धर्म निरपेक्ष तथा तार्किक निर्णय लेने की सामर्थ्य है, साथ ही सार्थक मूल्यांकन की स्व-संचालित व्यवस्था भी है।
- सरकार तथा नागरिक समाज के संस्थाओं में समन्वय।

ईजी गवर्नेंस की विशेषताएँ

ईजी गवर्नेंस के विशेषताओं की विवेचना निम्नलिखित बिंदुओं के रूप में की गई है—

सहभागिता—निर्णय-निर्माण और विकास कार्यों में जनता की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी सुशासन की आधारशिला है। न्यायसंगत माँगें, सहभागिता की स्थिति में ही की जा सकती है। इससे समाज की आधारभूत मान्यताओं को सहमति मिलती है और सामाजिक एवं राजनीतिक समरसता को बढ़ावा मिलता हैं। सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए एक ओर सूचनाओं और संगठन की आवश्यकता होती है और दूसरी ओर अभिव्यक्ति तथा समुदाय बनाने की स्वतंत्रता की जरूरत होती है। इसके लिए एक सुगठित नागरिक समाज महत्त्वपूर्ण शर्त है।

आम सहमति—सुशासन यह सुनिश्चित करता है कि आम महत्त्व के सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों पर समाज में क्रमशः आम सहमति विकसित होनी चाहिए। प्रथम चरण में सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और जनमानस के बीच सीधा संवाद होना चाहिए। दूसरे चरण में विभिन्न विचारों पर मंथन होना चाहिए। तीसरे चरण में आम सहमति विकसित होनी चाहिए और अन्तिम चरण में एक आम सहमति विकसित की जानी चाहिए।

जवाबदेही—यह सुशासन की एक और प्रमुख विशेषता है। सरकार के प्रत्येक अंग की जवाबदेही निर्धारित की जानी चाहिए विशेष रूप से यह जवाबदेही सार्वजनिक निधि के आवंटन, उपभोग और नियंत्रण के क्षेत्र में अवश्य होनी चाहिए।

पारदर्शिता—सरकार के निर्णय और क्रियाकलाप पारदर्शी होने चाहिए। सूचनाएँ सहज रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। निर्णय-निर्माण और उनका क्रियान्वयन विधि-संगत होना चाहिए।

अनुक्रियाशीलता—शासन अनुक्रियाशील होना चाहिए अर्थात् इसका क्रियान्वयन इस प्रकार से हो कि जनमानस की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं की पूर्ति की अधिकतम संभावना हो।

प्रभावशाली और कार्यकुशल—शासन प्रभावशाली और कार्यकुशल होना चाहिए। प्रभावशाली का अर्थ यह है कि निर्णय परिणामपरक होने चाहिए। कार्यकुशलता का आशय यह है कि क्रियान्वयन तेज और समय-सीमाबद्ध हो।

न्यायसंगत और समावेशी—शासन को न्याय पर आधारित और समावेशी होना चाहिए। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए कि शासन न्यायसंगत स्वरूप पर आधारित है। शासन को समावेशी भी होना चाहिए अर्थात् समाज के सभी समूहों विशेष रूप से अल्पसंख्यकों तथा साधनहीन जनों के समूहों को यह लगना चाहिए कि वे शासन की मुख्य धारा से जुड़े हैं।

विधि का शासन—इसका आशय यह है कि सुशासन हमेशा विधि के दायरे में रहकर कार्य करता है। विधि के समक्ष सभी लोग समान है और सभी को विधि का समान संरक्षण उपलब्ध है। इसका आशय यह भी है कि सभी लोगों के लिए विधि एक जैसी है।

सुशासन : भारतीय संदर्भ में निहितार्थ

भारत में सुशासन शब्द शायद उतना ही प्राचीन है जितना कि भारतीय शासन व्यवस्था। भारत में प्राचीन काल से ही सुशासन को भारतीय राजनीति का एक अभिन्न अंग माना गया है। प्राचीन भारत में वाल्मीकि रामायण, जातक कथाएँ, महाभारत, शुकचार का नीतिसार, पाणिनी की अष्टाध्यायी, ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौटिल्य का अर्थशास्त्र आदि अनेक रचनाएँ सुशासन व्यवस्था के वर्णनों से युक्त हैं (कश्यप : 2007, 104)।

वाल्मीकि रामायण में रामराज्य की धारणा को सुशासन माना गया, महाभारत में शान्ति पर्व और अनुष्ठान पर्व में इसका वर्णन किया गया है। कौटिल्य ने सुशासन व्यवस्था के लिए अपने ग्रन्थ अर्थशास्त्र में इसका वर्णन किया और इसे बनाएँ रखने के लिए राजा के गुण, शिक्षा, दिनचर्या का विस्तृत वर्णन किया तथा संप्रयोग सिद्धान्त दिया। उसने कहा ''राजा और प्रजा में पिता और पुत्र का सम्बन्ध होना चाहिए'' (कौर : 2019, 187)। कौटिल्य ने अच्छे शासन के तमाम लक्षण बताए गए हैं, जैसे-शासन हमेशा जनहित में होना चाहिए, शासनकर्ताओं का जीवन अनुशासित होना चाहिए। भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक उपाय किए जाने चाहिए आदि।

पश्चिम में प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध कृति रिपब्लिक में इस व्यवस्था का वर्णन किया है, जिसे उसने आदर्श राज्य के रूप में परिभाषित किया हैं, जो ज्ञान की सम्प्रभुता अर्थात् दार्शनिक राजा द्वारा संचालित होता है। उसने कहा कि ''जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी (कौर : 2019, 190-192)।''

स्वतंत्रता के पश्चात भारत में ईजी गवर्नमेंट अर्थात सुशासन की स्थापना हेतु तीव्र गति से प्रयास किए गए क्योंकि सुशासन की धारणा सरकार को मानव उन्मुखी, जनहितकारी, विकासात्मक और सहभागी बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। वास्तव में यह प्रजातान्त्रिकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने और मानव अधिकारों के संरक्षण से सम्बद्ध है।

सुश्रेष्ठ शासन के वर्तमान सन्दर्भ में नवम्बर 1966 में राज्य और केन्द्रशासित क्षेत्रों में मुख्य सचिवों ने प्रभावशाली और उत्तरदायी शासन-प्रशासन के निर्णय पर सूक्ष्म विचार-विमर्श किया और इस नतीजे पर पहुँचा गया कि भारत में सभी स्तरों प्रशासन, लोकप्रशासन, नागरिक सेवाओं की साख और प्रभाव में गिरावट आई है (कुमार : 2020, 49)।

राजनीतिज्ञों, नागरिक और अपराधियों के गठबन्धन, ईमानदारी, पारदर्शिता में आई गिरावट और राजनीतिज्ञों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारी वर्ग तक जिनके हाथ में शासन और अधिकारी हैं, उन तक जनता की पहुँच की निम्नतर दर इत्यादि दोषों से भारतीय शासन युक्त है। इन्होंने स्वीकार किया कि भारत में स्वतंत्रता के बाद से जवाबदेह संस्थाओं की प्रभावशीलता में कमी आती गई है। अतः हमें ईजी गवर्नमेंट के उद्देश्य के अनुरूप शासन पद्धति एवं प्रशासनिक ढाँचा अपनाना चाहिए एवं पहले से स्थापित शासन पद्धति एवं प्रशासनिक ढाँचे एवं प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए।

इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ई-प्रशासन की सहायता से सरकारी कामकाज में सरकारी युक्तियों का उपयोग करके शासन को सरल, पारदर्शी, संवेदनशील, उत्तरदायी, जवाबदेह, नागरिकोन्मुख और नैतिकतापूर्ण बनाने का प्रयास केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किया गया और यह प्रयास अनवरत जारी है।

वर्तमान में देश के लोकतान्त्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत सुशासन को दक्ष एवं अच्छे शासन के रूप में देखा जा रहा है। सुशासन कानून का शासन, उत्तरदायित्व, समानता, विकेन्द्रीकरण, जवाबदेही, पारदर्शिता, ईमानदारी, प्रशासनिक गुणवत्ता, उच्च नैतिक स्तर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के उत्कृष्ट प्रयोग को अपने कार्यकरण में महत्वपूर्ण स्थान देता है। जहाँ लोक सेवक जनहित की भावना से कार्य करते हो और नीति निर्माण योग्य व कुशल व्यक्तियों के द्वारा किया जाता हो (कुमार : 2014, 59)।

इसी कारण समाज वैज्ञानिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं स्वयं नागरिक समाज उस बारे में चिन्तित हैं कि भारत में सुशासन की स्थापना किस प्रकार की जाए। वास्तव में सुशासन का पूरा बल राजनीतिक संस्थाओं की क्षमता, लोकतंत्र और सहभागिता पर है।

इस प्रकार ईजी गवर्नेंस का तात्पर्य सरकार द्वारा संचालित नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी, जवाबदेह एवं उत्तरदायी बनाना है ताकि जनता को इसका सहज एवं सुलभ रुप से लाभ प्राप्त हो सके।

चूंकि भारत एक विकासशील देश है और उसकी अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है इसलिए ग्रामीण जनता में शहरों की तुलना में जागरूकता की कमी और कम शैक्षिक स्तर होने के कारण और गांव में सूचनाओं व संप्रेषण के कम माध्यम होने के कारण ईजी गवर्नेन्स की प्रासंगिकता भारत में स्पष्ट रुप से परिलक्षित होती है (खुराना : 2020, 37)।

वर्तमान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वर्तमान भारत में न केवल शहरों में, अपितु अधिकांश गांवों में भी लोगों के पास सूचना प्रौद्योगिकी की नवीनतम तकनीकें यथा एंड्रॉयड मोबाइल विद्यमान है और इसी कारण वर्तमान में सूचनाओं का संप्रेषण अब तेजी से हो रहा है।

ई-गवर्नेंस से सुशासन की ओर

वर्तमान भारतीय सरकार देश को 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' (न्यूनतम सरकार, अधिकतम कार्य) की दिशा में ले जाना चाहते हैं (राजस्थान पत्रिका, 2022, 12)। देश में एक सुदृढ़ और भरोसेमंद ई-गवर्नेंस तंत्र की स्थापना उस लिहाज से एक कालजयी कदम है। अब तक का अनुभव बताता है कि समूचे सरकारी तंत्र को एक तकनीकी ईको सिस्टम के तहत लाने और सरकार तथा नागरिक के बीच की दूरी समाप्त करने में ई-गवर्नेंस की भूमिका प्रशंसनीय है। किंतु बात यहीं तक सीमित नहीं है। न सिर्फ सरकारी तंत्र की भीतरी दूरियाँ सिमट रही हैं, साथ ही, सरकार और नागरिक के बीच की दूरियाँ भी सिकुड़ रही हैं बल्कि सरकार और उद्योग के बीच भी दूरियाँ पाटने में मदद मिल रही हैं। संक्षेप में कहें तो ई-गवर्नेंस गुड गवर्नेंस का अनिवार्य घटक है।

भारतीयों के लिहाज से गुड गवर्नेंस का व्यापक अर्थ 'सुशासन' है। अधिकांश भारतीय काफी हद तक इसे रामराज्य की परिकल्पना से जोड़कर देखते हैं। ऐसी सरकार जिसके सभी संगठन नागरिकों के भले के एकमात्र उद्देश्य को आगे लेकर चल रहे हों।

दूसरी ओर 'गुड गवर्नेंस' शब्द वैश्विक स्तर पर प्रचलित है। इसे लोकतंत्र, नागरिक समाज, जन-भागीदारी, मानवाधिकारों, सामाजिक विकास और स्थायित्व (सस्टेनिबिलिटी) के साथ जोड़कर देखा जाता है (शर्मा : 2021, 97)। यह अपने आप में अकेले चलने वाली अवधारणा नहीं है बल्कि आर्थिक सुधारों और लोकतंत्र के साथ जोड़कर देखी जाने वाली अवधारणा है जो स्पष्ट करती है कि यह सिर्फ प्रक्रियात्मक तथा सोच के बदलावों तक सीमित नहीं है बल्कि देशों के आर्थिक विकास के साथ भी सीधा संबंध रखती है और सामाजिक विकास से भी इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान का एक उद्धरण महत्त्वपूर्ण है—"प्रयोग में गुड गवर्नेंस का मतलब है मानवाधिकारों तथा कानून के शासन के प्रति सम्मान, लोकतंत्र की मजबूती और सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता तथा क्षमता विकास।"

निष्कर्ष

गुड गवर्नेंस के उद्देश्यों की ही तरह, ई-गवर्नेंस के अनगिनत लाभों में से एक यह है कि सरकारी सेवाएँ पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से उपलब्ध हों। ई-गवर्नेंस की समावेशी, दोतरफा-संवादात्मक प्रणालियाँ लोगों को अपनी शिकायतों और समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने की भी सुविधा देती है। आज माईगव (MyGov) जैसे सरकारी पोर्टलों पर देश भर से बड़े पैमाने पर लोगों के हजारों संदेश मिल रहे हैं। इन संदेशों को अधिकारियों द्वारा देखा जाता है और फिर आवश्यकतानुसार कार्रवाई की जाती है। नागरिकों को सरकार तक पहुँचने का एक शानदार जरिया मिल गया है (चोपड़ा : 2022, 9)। गुड गवर्नेंस में नागरिकों द्वारा राजनीतिक प्रक्रियाओं में स्वतंत्र तथा खुली भागीदारी की जाती है।

ई-गवर्नेंस न केवल सरकारी सेवाओं तक काफी हद तक सुविधाजनक और ऑन डिमांड पहुँच बनाती है बल्कि इस तंत्र के दोनों ओर (प्रदाता तथा प्राप्तकर्ता के स्तर पर) मूल्यवान वित्तीय संसाधनों को भी बचाती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में एक सांस्कृतिक कायाकल्प भी दिखाई दिया है जब विकास प्रक्रिया के सबसे अंतिम छोर पर खड़ा इंसान भी किसी न किसी रूप में डिजिटल क्रांति से लाभान्वित हुआ है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अरोड़ा, रमेश एवं चतुर्वेदी, गीता, भारत में राज्य प्रशासन, आरबीएसए पब्लिशर्स, जयपुर, 2021 पृ.सं. 139
2. अरोड़ा, रमेश के. एवं सोगानी, मीना, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन राजस्थान, आरबीएसए पब्लिशर्स, जयपुर, 1989, पृ.सं. 22
3. अरोड़ा, रमेश के. एवं माथुर, पी.सी., एडमिनिस्ट्रेटिव सी. सिस्टम ऑफ राजस्थान, इंस्टीट्यूशनल लैण्डमार्क, आलेख पब्लिकेशंस, जयपुर, 1998, पृ.सं. 32
4. कटारिया, सुरेंद्र, सामाजिक प्रशासन (कल्याण प्रशासन), आरबीएसए पब्लिशर्स, जयपुर, 2021, पृ.सं. 48
5. उपर्युक्त, पृ.सं. 78
6. कटारिया, सुरेंद्र, पूर्वोक्त, पृ.सं. 95
7. कश्यप, सी. सुभाष, क्राइम करप्शन एण्ड गुड गवर्नेंस, उप्पल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007, पृ.सं. 104
8. कौर, गुरमेहर, द यंग एंड द रेस्टलेस : यूथ एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, पेंगुइन पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2019, पृ.सं. 187